न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम, जिला करौली

मु.नं.:– 141/2022 तारीख रजू :– 10.11.2022

पीठासीन अधिकारी :– अमन चौधरी आर.ए.एस.

उनवान

1. ज्ञानसिंह उम्र 65 वर्ष
2. तुलसीराम उम्र 70 वर्ष

} पिता जौहरी जाति गुर्जर निवासी डूंगापुरा तहसील टोडाभीम, जिला करौली (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. बनी आयु 60 साल
2. सुरज्ञान आयु 57 साल
3. हंसराम आयु 70 साल
4. मोतराम आयु 60 साल

} पिता सुबद्दी जाति गुर्जर निवासी डूंगापुरा तसहील टोडाभीम, जिला करौली (राज.)

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1 अभिभाषक प्रार्थी :– हंसराम गुर्जर एडवोकेट

2 अभिभाषक अप्रार्थी :– श्री सुरेश चन्द्र शर्मा एडवोकेट

निर्णय

दिनांकः– 07.07.26

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम डूगापुरा, तहसील टोडाभीम जिला के खसरा नम्बर 3744 रकवा 0.15 है0 के सम्पूर्ण हिस्से का सायल नम्बर 1 ज्ञानसिंह खातेदार काश्तकार है। तथा भूमि खसरा नम्बर 3745 रकबवा 0.86 है0 में सायलान हिस्सा 1/4 के खातेदार काश्तकार है। खसरा नम्बर 3745 में सायलान के हिस्से की भूमि 0.21 है0 का मौके पर अलग खेत बना हुआ है। जो बहामी बॅटवारे में सायलान के हिस्से व कब्जे में आया हे। जिससे गैरसायलान या अन्य किसी व्यक्ति का कोई सरोकार किसी प्रकार का नहीं है।

प्रार्थना पत्र में विवादति भूमि से गैरसायलान सा अन्य किसी व्यकित का कोई सरकार नहीं है। गैरसायलान ने एक गिरोह बनरा रखा हे। जो आये दिन गरीब व्यक्तियों की भूमि पर कब्जा करते रहते है। यदि गैरसायालान अपनी इस गैरकानूनी कुचेष्टा में कामयाब हो गये तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी सिजकी पूर्ति किसी प्रकार संभव नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

दिनांक 01.11.2022 को सुबह करीब 9 बजे का है क सायलान अपनी रिहायशी भूमि देखभाल कर रहे थे कि गैरसायलान अपने हाथों में लाठी, डण्डे लेकर आ गये और सायलान से कहा कि अब तुम इस भूमि पर आना जाना छोड दो। हम लट्ठ बल पर इस भूमि पर कब्जा करेगे। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड सकते। सायलान ने गैरसायलान को काफी समझाया कि भाईयों तुम हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यो कर रहे हो परन्तु गैरसायालान नहीं माने इसलिए प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ हैं

सायलान का प्रामईफेसी केस बखूबी साबित है तथा सुविध का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का सिद्वान्त भी सायलान के पक्ष में है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से गैरसायलान को कोई क्षति किसी प्रकार की नहीं है। जबकि अस्थायी निषधाज्ञा जारी नहीं होने से सायलान को अपर्तनीय क्षति हो जावेगी जिसकी पुर्ती किसी भी प्रकार दृव्य मे भी संभव है। भूमि खसरा नम्बर 3744 रकवा 0.15 है0 3745 रकवा 0.86 है0 में से 0.21 है0 जो मौके पर अलग खेत बना हुआ हे। सायलान को बेदखल नहीं करें। किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं करे। सायलान के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत नहीं करे जिससे हकूक सायलान विपरीत प्रभाव पडें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया है प्रतिवादीगण की ओर से वकील उपस्थित हुये, प्रतिवादी वकील ने प्रर्थना पत्र आदेश 26 नियम 9 पेश किया जो स्वीकार किया गया तहसीलदार से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार बालघाट से रिपोर्ट अनुसार ग्राम डूगापुरा के आराजी खसरा नम्बर 3744 रकबा 0.15 है0, 3745 रकबा 0.86 है0 दोनो खसरा नम्बरान में मौके पर आबादी बसी हुई है। खसरा नम्बर 3744 में जनक पुत्र श्योनारायण जाति गुर्जर का पक्का मकान व निहाल सिंह पुत्र प्रेम सिंह भड्डू पुत्र जगन व निर्भय पुत्र पदम के शामलाति घूडे पडे हुए है, तथा खसरा नम्बर 3745 में निर्भय पुत्र पदम, निहाल पुत्र प्रेमसिंह, शिवमसिंह पुत्र श्योनारायण, बिजेन्द्र सिंह पुत्र प्रभु, भूरसिंह, भरत पि0 प्यार सिंह, श्यामसिंह पुत्र प्रेमसिंह, भड्डू पुत्र जगन, हंसराम, मोतीराम, बनैसिंह, सुरज्ञान, पि0 सुबुद्वि जाति गुर्जर निवासी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

डुगापुरा के पक्के मकानात मौके पर बने हुऐ है व कुछ हिस्से में होकर रास्ता निकल निकल रहा है, आराजी खसरा नम्बर 3744 रकबा 0.15 है0 की खातेदारी ज्ञानसिह पुत्र जौहरी जाति गुर्जर सा.देह के नाम खातेदारी रिकार्ड दर्ज है। खसरा नम्बर 3745 रकबा 0.86 है0 में खातेदारी ज्ञानसिंह, तुलसीराम, पि0 जौहरी हिस्सा 2/8 संतोष, शेरसिह, पि0 सुरेश, शर्मिला पुत्री सुरेश हिस्सा बराबर 3/240 अमरूती पत्नी सुरेश, हिस्सा 1/240, श्रीकृष्ण बाबूसिंह, गिन्दर सिंह, पि. भंवर, गीता पत्री भंवर हिस्सा बराबर 4/60, रूमा देवी पत्नी भवर हिस्सा 1/60, बन्नी, मोती राम, सुरज्ञान, हंसराम पि0 सुबिद्वि हिस्सा 4/16, भीम, जनक, रामप्रसाद, शिवसिंह पि0 श्योनारायण हिस्सा 4/10 जाति गुर्जर सा.देह खातेदार रिकॉर्ड दर्ज है। प्रार्थना पत्र आदेश 26 नियम 9 पर आपत्ति प्राप्त हुई। आपत्ति स्वीकार की गई पुनः तहसीलदार से रिपोर्ट ली गई।

खसरा नम्बर 3744 व 3745 स्थित ग्राम डूगापुरा मे होना स्वीकार है। उक्त भूमि पर कोई खेत सायलान के हिस्से में आया है, बल्कि उक्त खसरा नम्बर में गैरसायलान व गांव डूँगापुरा के रहने वाले लोगों के बडी संख्या मे मानात बने हुऐ है। सायलान का मौके पर कोई कब्जा नहीं है, बल्कि मौके पर गैरसायालान व गांव डूँगापुरा के जनक पुत्र श्योनारायण, पदमसिंह, चतर सिंह पुत्रान जगन, निर्भय पुत्र पदम, निहाल सिंह पुत्र प्रेम सिंह, भूर सिंह पुत्र प्यार सिंह, श्यामसिंह पुत्र प्रेम सिंह भरत पुत्र प्यार सिंह, शिवसिंह पुत्र श्योनारायण बिजेन्द्र पुत्र प्रभु आदि काफी व्यक्तियों के सैकडों साल से पुख्ता मकान बने हुए है। उक्त खसरा नम्बरान में गांव डूगापुरा की पुरानी आबादी बसी हुई है तथा मकानात में सभी के नल बिजली के कनैक्शन भी लगे हुए है। मौक पर कोई खेत नहीं है। इसलिए सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। सायालान ने एक गिरोह बना रखा हे। तथा सायल ज्ञानसिंह पूर्व मे उपप्रधान रहा है तथा अपने पुराने पद का हवाला देकर लोगो को डरा धमका कर उनके रिहायशी मकानो को ध्वस्त करवाने की धमकी देकर रूपये ऐंठने की फिराक में रहता है तथा गैरसायलान को नुकसान पहुँचकार गैरसायालान व गांव के अन्य व्यक्तियों की रिहायशी भूमि पर कब्जा करना चाहता है। यदि सायलान अपनी इस गैरकानूनी कुचेष्टा में कामयाब हो गये तो गैरसायालान को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी, जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नही हो सकेगी।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

दिनांक 01.11.2022 को कोई घटना घटित नहीं हुई। मौके पर सायलान का कोई खेत नहीं है ना ही सायलान की कोई रिहायशी भूमि है। सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 2 में भूमि खसरा नम्बर 3744, 3745 को खेत बना हुआ बताया है। जबकि इस मद में रिहायशी भूमि बतलाया है। इससे यह साफ जाहिर है कि भूमि पर कोई खेत नहीं है। बल्कि गांव डूगापुरा की रिहायशी आबादी है तथा सायलान डरा धमका कर लटठ के बल पर कब्जा करना चाहते है सायलान का उक्त विवादित भूमि पर कब्जा नहीं है इसलिये ना तो सायलान का प्राइमाफेसी केस साबित है ना ही सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति ही सायलान के पक्ष में साबित है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से गैरसायालान को भारी क्षति होने की कोई संभावना नहीं है। सायलान का मौके पर कब्जा नहीं है। बल्कि मौके पर गैरसायालन के पुख्ता मकान बने हुए इसिलए प्रार्थना पत्र सायलान मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

विद्वान वकीलो की बहस पर गहनता से मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को निर्णित करने के लिए विचारणीय न्यायालय को तीन बिन्दुओ को तय किया जाना होता है।

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरणः–** प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी पत्रावली मे शामिल ग्राम डूगापुरा के खसरा नम्बर 3744 रकबा 0.15 है0 सायलान नं0 1 खातेदार दर्ज रिकार्ड है तथा खसरा नंबर 3745 रकवा 0.86 है0 सायलान हिस्सा 1/4 के खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी द्वारा स्वंय के पक्ष में वांछित साक्ष्य, दस्तावेज पेश नहीं किये जो उसके पक्ष में प्रथम दृष्ट्या प्रकरण को साबित करते है। मामला उभयपक्ष द्वारा जमीन की अदला–बदली को लेकर है जो साक्ष्य से सिद्ध किया जा सकता है।

2. **सुविधा का संतुलनः–** पत्रावली मे शामिल दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष मे साबित नहीं होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

3. **अपूर्तनीय क्षतिः**— उपलब्ध अभिलेखों से भी यह प्रतीत नहीं होता है कि निषेधाज्ञा न देने से वादी को ऐसा अपूरणीय नुकसान क्या होगा जिसकी पूर्ति बाद में नहीं की जा सके। अतः न्यायालय की राय में वादी अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान करने के लिये आवश्यक तीनों तथ्य, प्रथम दृष्ट्या, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति को सिद्ध करने में असफल रहा है।

आदेश

अतः सायलान एवं गैरसायलान अपनी–अपनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि पर काबिज है। प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बर 3744 रकवा 0.15 है0, 3745 रकवा 0.86 है0 पर गैरसायलान मकानात बने हुये है और मौके पर मकान बनाकर निवास कर रहे है। ऐसी स्थिति में किसी एक पक्ष को एक/दूसरे पक्ष के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 9.2.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया

(अमन चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली